6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2114—एक/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—11—2011 के द्वारा आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 185/2009—10/अपील

.....

पातीरामसिंह पुत्र महीपतिसिंह
निवासी—रूपाकातौर, तहसील—सबलगढ़,
जिला— मुरैना म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— श्रीमती गिरिजा पुत्री केहरीसिंह पत्नी महीपालसिंह
निवासी—अलवर हाल निवासी—ग्राम रूपाकातौर,
तहसील सबलगढ़, जिला— मुरैना म0प्र0

2— श्रीमती सौरी पुत्री केहरीसिंह पत्नी छज्जूसिंह
निवासी—ग्राम जलूकी पोस्ट सैमढ़ी, जिला—भरतपुर
हाल निवासी—रूपाकातौर, तहसील सबलगढ़,
जिला— मुरैना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एम0पी0 भटनागर, अभिभाषक, आवेदक
श्री शंकर सिंह तोमर, अभिभाषक, अनावेदिका क्र0 1 व 2

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा प्रकरण क्रमांक 185/2009—10 में पारित आदेश दिनांक 24—11—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार सबलगढ़ के ग्राम रूपाकातौर माता का तौर एवं ग्राम किशोरगढ़ में स्थित विवादित भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी केहरीसिंह थे।

केहरीसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 27.07.87 के आधार पर विवादित भूमियों पर नामांतरण कराने बावत एक आवेदन–पत्र आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2007–08/अ–6 पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 07.11.2009 से विवादित भूमियों पर वसीयतकर्ता केहरीसिंह के स्थान वर वसीयतग्रहीता पातीरामसिंह पुत्र महीपतसिंह के नाम पर नामांतरण स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2009 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के समक्ष पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 04/2009–10/अपील माल पर दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 04.09.2010 से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2010 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा द्वतीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो प्र0 क्र0 185/2009–10/अपील माल में दर्ज होकर आदेश दिनांक 24.11.2011 को अपील आधारधीन मानते हुये निरस्त की गई । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 24.11.2011 के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अभिलिखित भूमिस्वामी केहरीसिंह जिनके कोई पुत्र नहीं था, आवेदक के पक्ष में दिनांक 27.07.87 को एक वीसतयनामा रजिस्टर्ड सम्पादित कराया गया था । अभिलिखित भूमिस्वामी केहरीसिंह की मृत्यु होने के बाद विवादित भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण कराने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया । विचारण न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा आपत्ति पेश कर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण न किये जाने की याचना की । विचारण न्यायालय ने वसीयतनामा को पूर्णरूप से साक्ष्य से प्रमाणित पाया और उसके आधार पर विवादित भूमियों पर मृतक केहरीसिंह के स्थान पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । अनावेदिकागण विचारण न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये थे । अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के समक्ष अपील पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा अवैध रूप से विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । जबकि अनावेदिकागण को सुनवाई का अवसर पूर्व में प्रस्तुत अपील

म मिल चुका है । पुनः अवसर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं । स्वत्व का निराकरण तथा वसीयत फर्जी है या नहीं इस बिन्दु पर भी विचार सिविल न्यायालय द्वारा किया जावेगा। राजस्व न्यायालयों को इसका अधिकार नहीं है । अनावेदिकागण द्वारा एक सिविल वाद भी संस्थापित किया गया था, जो निरस्त किया जा चुका है । विचारण न्यायालय में वसीयतनामा को पूर्णतः साक्ष्य से प्रमाणित किया जा चुका था और उसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया था । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 04.09.2010 स्थिर रखे जाने योग्य न होने के कारण निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदिका क्र0 1 व 2 के अधिवक्ता श्री शंकर सिंह तोमर उपस्थित । उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदक, अनावेदिकागण के ताऊ का लड़का होकर एक ही परिवार के सदस्य है । आवेदक द्वारा अनावेदिकागण के पिता की मृत्यु उपरांत एक फर्जी व कूटरचित वसीयत तैया कर उनकी छोड़ी हुई सम्पत्ति के नामांतरण हेतु तहसील कार्यालय में कार्यवाही की गई तथ अनावेदिकागण को उक्त कूटरचित वसीयत की जानकारी हुई तब अनावेदिकागण द्वारा आपत्ति लगाई गई कि हम दोनों बहिनें गिरिजा एवं सौरी मृतक केहरीसिंह की वैध पुत्रियां होकर उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी है जबकि उक्त फर्जी व बनावटी वसीयत में यह उल्लेख किया गया कि केहरीसिंह लाऔलाद थे। यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना भी ।अवश्यक हे कि उपरोक्त भूमि अनावेदिकागण के पूर्वजों की भूमि रही जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती रही है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होकर अनावेदिकागण की पैत्रक सम्पत्ति होकर अनावेदिकागण को नैसर्गिक उत्तराधिकार के हक प्राप्त है इस प्रकार उक्त सम्पत्ति मृतक की स्वअर्जित सम्पत्ति न होकर पूर्वजों द्वारा प्राप्त सम्पत्ति है जिसमें संबंध में उसे वसीयत लेख करने का हक व अधिकार भी नहीं है । अनावेदिकागण के विवाह उपरांत अनावेदिकागण कभी अपनी ससुराल एवं कभी पिता के यहां रहती एवं उनके द्वारा अपने पिता की पूर्ण देखीाल व सेवा सुश्रूसा की जाती थी। पिता केहरीसिंह अंतिम समय में बृद्ध व अशक्त हो गये थे इसी कारण अनावेदिकागण द्वारा उनकी देखभाल की गई । अनावेदिकागण अपने पिता/मृतक केहरीसिंह की एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है । चूँकि अनावेदिकागण के पारिवारिकजन (ताऊ के पुत्रगण) उनकी पैत्रक सम्पत्ति को

यन–केन–प्रकारेण फर्जी व कूटरचित कार्यवाहियां कर फर्जी वसीयत के आधार पर हड़पना चाहते है ।

5/ आवेदक के तर्क के संबंध में अनावेदिकागण के अभिभाषक द्वारा बिन्दूवार उत्तर प्रस्तुत किया कि निगरानी के पद क्र0 1 में वर्णित सर्वे नंबरान अनावेदिकागण के पिता के होना स्वीकार है एवं शेष तथ्य असत्य, मनगढ़न्त व निराधार होने से अस्वीकार है । निगरानी के पद क्र0 2 में वर्णित तथ्य असत्य, मनगढ़न्त व निराधार होने से अस्वीकार है । निगरानी के पद क्र0 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा दिनांक 04.09.2010 को पारित आदेश द्वारा प्रकरण विधिवत एवं पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर विधि की मंशा के अनुसार निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में प्रार्थियागण के पक्ष में नामांतरण हेतु कार्यवाहियां संचालित होने पर निगरानीकर्ता द्वारा कमिश्नर चम्बल संभाग मुरैना के यहां अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई । निगरानी के पद क्र0 4 एवं 5 में वर्णित तथ्य का जवाब इस प्रकार है कि उपरोक्त अपील कमिश्नर चंबल संभाग के न्यायालय में 9185/09–10 पर दर्ज होकर अपीलार्थी/निगरानीकर्ता की अपील निरस्त फरमाते हुये प्रार्थियागण के पक्ष में दिनांक 24.11.2012 को निर्णय पारित किया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो कि विधिवत निराकरण हेतु लंबित है । पद क्र0 6 में वर्णित तथ्य असत्य, मनगढ़न्त व निराधार होने से अस्वीकार है । पद क्र0 7 में वर्णित तथ्य असत्य, मनगढ़न्त व निराधार होने से अस्वीकार है । प्रार्थियागण द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वादपत्र अदम पैरवी में निरस्त किया गया था न कि निगरानीकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित हुआ था । पद क्र0 8 में वर्णित तथ्य असत्य, मनगढ़न्त व निराधार होने से अस्वीकार है । आयुक्त द्वारा अपील में जो निर्णय दिनांक 24.11.2011 पारित किया गया है वह पूर्णतः सत्य व सटीक है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता न होते हुये यथावत रखे जाने योग्य है । निगरानी में आधार की कॉलम नं0 1 लगायत 8 जिस प्रकार लेख किये गये है वह पूर्णतः असत्य, निराधार व मनगढ़न्त होने से अस्वीकार है । निगरानी के आधारों में जो अभिवचन अंकित किये गये हैं उनका जवाब उपरोक्त जवाब के प्रारंभिक आपत्ति एवं पदवार उत्तर में विस्तृत रूप दिया जा चुका है ।

6/ अनावेदिकागण के अभिभाषक ने विशेष आपत्ति में निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में जो 25 हजार रूपये देने का उल्लेख किया है वह रूपये ग्राम रूपा के तोर के सभ्रान्त व प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों द्वारा दोनों पक्षों के मध्य एक परिवार के होने के नाते सुलह कराते हुये प्रार्थियागण के खर्च हुये वाद व्यय के रूप में दिलाये जाकर आपसी राजीनामा करा दिया गया था एवं भूमि प्रार्थियागण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में ही मान्य की गई थी । इस प्रकार पुनः निगरानीकर्ता के मन में बद्यांती व बेईमानी होने के कारण पुनः वर्तमान प्रकरण संचालित किया जा रहा है जो प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया निगरानी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ अनावेदिकागण के अभिभाषक ने लिखित तर्क में बताया कि आवेदन के पद क्र0 1 में वर्णित इवारत जिस प्रकार उल्लेखित की गई है वह पूर्णतः असत्य, बनावटी तथा मनगढ़न्त होने से स्वीकर किया गया है वह पूर्णतः फर्जी, बनावटी एवं कूटरचित है एवं प्रार्थीगण के नाम निर्वाचन नामावली में न होना उल्लेख किया गया है तो इस न्यायालय को यहां अवगत कराया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीगण एक संयुक्त हिन्दू परिवार की महिला सदस्य है विवादित स्थल (प्रार्थियागण का मायका है) जहां पर प्रार्थियागण के वोटर लिस्ट में नाम न होकर उनकी ससुराल में उनके नाम अंकित है । निगरानीकर्ता द्वारा वोटरलिस्ट में नाम न लेने का जो आधार लिया गया है वह इस न्यायालय को मात्र गुमराह व अपने हक में येनकेन प्रकारेण निर्णय कराने का है जबकि आवेदन के पद क्र0 1 में जो तथ्य वर्णित किये गये है वह पूर्णतः असत्य, बनावटी एवं निराधार होकर प्रार्थियागण के हकों पर कोई विपरीत प्रभावकारी नहीं है । आवेदन पत्र में पद क्र0 2 में वर्णित तथ्य दस्तावेज प्रस्तुती में हुये विलंब का कारण निगरानीकर्ता द्वारा वृद्धावस्था बतलाया गया है जो कि कतई सत्य न होने से स्वीकार नहीं है। उपरोक्त तथ्य इस प्रकार भी असत्य प्रतीत होता है कि आवेदन के साथ संलग्न पंचनामा निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 28.09.2015 को ही तैयार कराया गया है एवं 05.01.2016 को इस न्यायालय के समक्ष कूटरचना कर पेश किया गया है । अतः विलंब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । आवेदन पत्र के पद क्र0 3 में वर्णित तथ्य उपरोक्त पद की पुनरावृत्ति होने से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे, एवं निगरानीकर्ता पर हर्जा–खर्चा अधिरोपित करने हेतु आदेश पारित किया जावे ।

8/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषगण के तर्क श्रवण किये गये तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभिलिखत भूमिसवामी केहरीसिंह द्वारा आवेदक के हक में जो वसीयतनामा सम्पादित किया गया था, उसमें केहरीसिंह को निःसंतान होना बताया गया है, जबकि केहरीसिंह की दो पुत्रियां अनावेदिकागण है और यह तथ्य आवेदक को भी स्वीकार है । विचारण न्यायालय को इस बिन्दु पर गहराई से जांच करना चाहिये थी, जो नहीं की गई ।

9/ अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमियों पर नामांतरण किया जा रहा था तो विचारण न्यायालय को विवादित भूमि मृतक केहरीसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति है या पैत्रिक सम्पत्ति है, इसकी भी जांच की जाना आवश्यक थी, जो नहीं कराई गई । वसीयतकर्ता उसी भूमि की वसीयत कर सकता है, जो उसके स्वअर्जित हो । पैत्रिक सम्पत्ति का वसीयतनामा नहीं हो सकता है । जांच आवश्यक थी, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कोई जांच की जाना उचित नहीं समझा । विचारण न्यायालय को वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करने से पहले वसीयतनामा किन परिस्थितियों में लिखा गया उसकी स्वाभाविक परिस्थितियों की जांच कर लेना चाहिये थी, यह जांच भी नहीं गई । रे0नि0 1995 पृष्ठ 65 में राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)–धारा 109 तथा 110 बिल आधार पर नामांतरण का दावा बिल करने की स्वाभाविक परिस्थितियां साबित नहीं सम्पत्ति से एक उत्तराधिकारी का अपवर्जन–ऐसी बिल के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता । जे0एल0जे0 1990 पृष्ठ 224 तथा 1990 (2) म0प्र0वी0ने0 141 (उच्चतम न्यायालय) अनुसरित । इस न्यायिक सिद्धांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना है कि यद्यपि वसीयतनामा प्रमाणित हो जाता है फिर भी कोर्ट की यह जिम्मेदारी रह जाती है कि वह देखे कि वसीयतनामा किन परिस्थितियों में लिखा गया है। विशेषकर जब वसीयतनामा एक वारिस की समस्त सम्पत्ति वंचित किया गया हो। अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पारित आदेश को निरस्त करने में कोई न्यायिक भूल नहीं की है और प्रकरण विचारण न्यायालय को वर्णित बिन्दुओं के जांच कर न्यायसंगत आदेश पारित करने के लिये प्रत्यावर्तित किया है इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है ।

10/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 04.09.2010 विधिसम्मत है और ऐसे विधिसम्मत आदेश को अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 24.11.2011 में यथावत रखा है । अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ तथा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समवर्ती निष्कर्ष निकलने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को स्थिर रखते हुये, प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर